कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1339 /12–1 :देहरादूनःदिनांकः 6 दिसम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टकनागूंठ से डांडा मल्ला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.140 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव– FP/UK/ROAD/41672/2019)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/16/2020/एफ0सी0/1674 दिनांक 28–10–2020 तथा आर0ई0सी0 की 78वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 के सन्दर्भ में। (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विशयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विशयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 682/12–1 दिनांक 28.11.2023 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जिसे बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण –** **क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 18.28 है0 अवनत वन भूमि डुंगराबांकू क0सं0 21 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा, जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। **ख)** वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।	**(क)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र प्रभाग को प्रेशित किया गया है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–1)** **(ख)** उक्त शर्त के अनुपान में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग,

	के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	हल्द्वानी के पत्रांक संख्या 1173/12–1 हल्द्वानी, दिनांक 23.11.2020 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु वर्ष 2020–21 के लिए निर्धारित दर रू0 337184.00 मात्र प्रति हे0 की दर से कुल धनराशि रू0 6163724.00 की मांग के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को वांछित धनराशि जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
5 **(क)**	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या – 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.140 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	**(क)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिनांक 22.01.2021 को जमा की जा चुकी है, जिसकी ऑनलाइन Transaction Acknowledgement slip तथा Online Payment History Slip प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–3 के अनुसार)**
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक भापथपत्र प्रस्तुत करेगा।	**(ख)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार एन0पी0वी0 की वचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रभाग को प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 555 Trees and 272 Saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा वृक्षों के न्यूनतम पातन का प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–5)**
7	State Government may submit the detail of trees (Including Number, species, girth etc.) present in 5 ha. CA area that appears to be falling in VDF. If the area not found suitable then another 5 ha.	As per User Agency-The 5 Ha. area which appears to be falling in VDF is not actualy in VDF at site as the number of trees falling in the area is less, hence the area is totaly suitable for CA land. The detail of trees has been annexed with DFO

फेज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि		योग
			एन.पी.वी.	प्रतिपूरक वनीकरण	
XIX	टकनागूंठ से डांडामल्ला मोटर मार्ग	चम्पावत	7116060	6163724	13279784

	area may be selected and details of the area may be submitted to this Office.	attached letter. **(संलग्नक–6)**
8	It is seen that 12 ha. area of CA is in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 trees per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08-11-2017 may be submitted.	As per User Agency required certificate by D.F.O Champawat is attached. **(संलग्नक–7)**
9	State Gorvement may upload the NPV Calculation sheet.	As per User Agency the NPV calculation sheet has already been uploaded to the web portal of forest cases of **Form A, Part I** before the technical approval was issued.
10	Details of 842 trees including 15 of NFL uploaded. State Grovenment may upload fill the details of trees Falling in Forest area only.	As per User Agency details of trees Falling in Forest area only is attached. **(संलग्नक–8)**
11	The State Government may review the area selected for muck disposal in forest land and selected non-forest land or less dense area for this purpose.	As per User Agency the site has been reviewed and the area which was covered with the vegetation of small grass and bushes only has been selected as the muck disposal areas.
12	The State Government may submit the list of trees falling in muck disposal area and ensure that no tree felling will be done in this area.	As per User Agency As mentioned in the above point none trees will be cut or fallen in the muck disposal area.
13	State Government is required to submit the eco-restoration/rehabilitation plan for muck dumping area.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि मक डिस्पोजल एरिया में शर्तानुसार 1.0 है0 वन क्षेत्र में तथा 1.0 है0 सिविल क्षेत्र में वृक्षारोपण की परियोजना प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–8)**
14	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार एन0पी0वी0 व प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार Strip Plantation हेतु प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–9)**
16	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

	दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	
17	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण–पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसका प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–10)**
18	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
21	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार शर्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रेषित वैकल्पिक ईंधन हेतु प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–11)**
23	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
26	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
27	इनमें से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंधन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार उपरोक्त सभी शर्तो का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा तथा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

	अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
28	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी।
29	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयवद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
30	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ली जायेगी।
31	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 30.05.2023 को गठित 78 वीं Regional Empowered Committee (REC) द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत शर्तें	कृत कार्यवाही
1	Though partial compliance for damage and uprooting of 37 trees has been made by charging fine on the Forest Corporation for Rs. 858794.00 necessary action shall be taken against the Forest Corporation and the User Agency for damage and uprooting of 37 trees under the provisions of IFA, 1927.	As per User Agency under the Provisions of IFA, 1927 necessary action was taken against the user agency in which the contractor of User Agency was found guilty and had been charged a compensation of Rs. 150000.00. In addition to this the User Agency had been charged a Penal NPV of Rs. 34308.00 which deposited by user agency तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी को रू0 858794.00 की पी0डी0 अधिरोपित की गई थी, जिसे वन संरक्षक पश्चिमी, वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी के पत्रांक 445/9–1 दिनांक 22.09.2023 द्वारा वन निगम के विरूद्ध पी0डी0 रू0 858794.00 मात्र को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। **(संलग्नक–12, 14 पृष्ठ)**

अतः अनुरोध है कि वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी/प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी द्वारा प्रेषित प्रति उत्तर एवं प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–1339 / FP/UK/ROAD/41672/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चम्पावत।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।